उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 | अंक 16 | 16-31 अगस्त 2023 | ₹ 20/-

2024 के लोकसभा चुनावों में मुसलमानों की रणनीति

- नूंह दंगों के पीछे कांग्रेस का हाथ
- पाकिस्तान में गिरजाघरों और ईसाई बस्तियों पर हमले
- इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध की संभावना
- मुजफ्फरनगर के स्कूल में मुस्लिम छात्र की पिटाई से मचा बवाल

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

मुजफ्फरनगर के स्कूल में मुस्लिम छात्र की पिटाई से मचा बवाल 04
नूंह दंगों के पीछे कांग्रेस का हाथ 06
ज्ञानवापी विवाद को अदालत से बाहर सुलझाने का प्रयास विफल 08
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में करोड़ों का घोटाला 10
2024 के लोकसभा चुनावों में मुसलमानों की रणनीति 12
मलियाना हत्याकांड पर निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती 16

विश्व

पाकिस्तान में गिरजाघरों और ईसाई बस्तियों पर हमले 17
अफगानिस्तान में राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध 19
स्वीडन और नीदरलैंड में कुरान का अपमान 21
शेख हसीना के बेटे की हत्या की साजिश रचने वाले पत्रकारों को सजा 22
तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पड़ोसी देशों के लिए खतरा 22

पश्चिम एशिया

इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध की संभावना 24
ईरान और सऊदी अरब के बीच नए अध्याय की शुरुआत 25
इजरायल के विदेश मंत्री से मुलाकात करने पर लीबिया की विदेश मंत्री बर्खास्त 27
सऊदी सुरक्षा बलों ने की सैकड़ों इथियोपियाई शरणार्थियों की हत्या 29
ईरान की अदालत ने अमेरिका पर 33 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया 30

सारांश

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक निजी स्कूल की विकलांग शिक्षिका तृप्ता त्यागी द्वारा एक मुस्लिम छात्र की उसके ही सहपाठियों से थप्पड़ मरवाने की घटना को सांप्रदायिक तत्वों द्वारा जिस तरह से उछाला गया, उसे कतई शोभनीय नहीं कहा जा सकता। इस महिला शिक्षिका का कहना है कि बच्चे के मामा ने उससे यह शिकायत की थी कि बच्चा पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए उसे सबक सिखाया जाए। रोचक बात यह है कि जब बच्चे को इस शिक्षिका ने उसके सहपाठियों से थप्पड़ लगवाए तो उस समय उस बच्चे का चाचा मौके पर मौजूद था और उसी ने इस वीडियो को भी बनाया था। बाद में यह वीडियो एक मुस्लिम पत्रकार के हाथ लगा, जिसने इस घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए स्कूल को बंद करवा दिया है और शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

एक ओर तो मुजफ्फरनगर के स्कूल में मुस्लिम छात्र को उसके ही सहपाठियों द्वारा थप्पड़ मारे जाने की घटना को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया। उर्दू अखबारों ने भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं, जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक मुस्लिम शिक्षक द्वारा एक हिंदू छात्र की बेरहमी से पिटाई की घटना को लगभग सभी उर्दू अखबारों ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मीडिया के अनुसार जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले की बनी तहसील के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में दसवीं कक्षा के एक छात्र द्वारा ब्लैकबोर्ड पर जय श्रीराम लिखे जाने पर मुस्लिम शिक्षक और प्रिंसिपल ने उसकी जमकर पिटाई की। इस छात्र को इतना पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के खिलाफ नगर में उग्र प्रदर्शन किया गया और यह मांग की गई की मुस्लिम शिक्षक फारूक अहमद और प्रिंसिपल मोहम्मद हफीज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाद में आरोपी शिक्षक फारूक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया।

अरब जगत के दो धुर विरोधी देश सऊदी अरब और ईरान चीन के प्रयास से एक बार फिर से मित्रता के बंधन में बंध गए हैं। गौरतलब है कि ईरान शिया बहुल देश है। वहीं, सऊदी अरब एक कट्टर सुन्नी देश है। 2016 में जब सऊदी अरब सरकार ने कुछ शिया मौलानाओं को मौत की सजा दी थी तो उसके विरोध में तेहरान में शियाओं की उग्र भीड़ ने सऊदी अरब के दूतावास पर हमला करके उसे आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध समाप्त हो गए थे। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब का दौरा किया। ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में इस बात को स्वीकार किया कि ईरान और सऊदी अरब के बीच फिर से राजनयिक संबंध स्थापित कराने में चीन का महत्त्वपूर्ण योगदान है। मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण अमेरिका को विशेष रूप से परेशानी हो रही है।

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने देश के सभी राजनीतिक दलों पर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया है कि इस्लामी शरिया में राजनीतिक गतिविधियों की कोई गुंजाइश नहीं है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद रहेंगे और उन्हें नौकरी करने व पार्कों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अपने देश का शासन शरिया के अनुसार चलाने पर कटिबद्ध हैं और इस संबंध में हम किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को सहन नहीं करेंगे।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न लगातार जारी है। हाल ही में पंजाब प्रांत के जिला फैसलाबाद की तहसील जरांवाला में मुसलमानों की उग्र भीड़ ने एक दर्जन से अधिक गिरजाघरों और ईसाइयों की चार बस्तियों के दर्जनों मकानों में आग लगा दी। कहा जाता है कि दो ईसाइयों ने कुरान का अपमान किया था। इस घटना से नाराज उग्र मुसलमानों की भीड़ ने गिरजाघरों और ईसाइयों के मकानों पर हमला किया।

राष्ट्रीय

मुजफ्फरनगर के स्कूल में मुस्लिम छात्र की पिटाई से मचा बवाल

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में विकलांग शिक्षिका द्वारा एक मुस्लिम छात्र को उसके ही सहपाठियों से थप्पड़ मरवाने की घटना को उर्दू अखबारों ने खूब उछाला है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (27 अगस्त) के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर स्थित थाना मंसूरपुर के एक निजी स्कूल में एक शिक्षिका द्वारा एक मुस्लिम छात्र को उसके ही कक्षा के अन्य छात्रों से पिटवाने और सांप्रदायिक बयान देने से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस महिला का नाम तृप्ता त्यागी है और वह नेहा पब्लिक स्कूल के नाम से एक निजी स्कूल चलाती है। वायरल वीडियो में शिक्षिका एक मुस्लिम छात्र को उसके ही सहपाठियों से थप्पड़ लगाने को कहती है। छात्र के पिता की शिकायत पर आरोपी शिक्षिका के खिलाफ मंसूरपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस छात्र के पिता ने अपनी शिकायत में शिक्षिका के खिलाफ एक विशेष संप्रदाय के लिए आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। वहीं, शिक्षिका ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पूरी घटना में कोई सांप्रदायिक दृष्टिकोण नहीं है और वीडियो को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। शिक्षिका ने कहा कि संबंधित छात्र के मामा ने यह शिकायत की थी कि बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं लेता, इसलिए उसे सबक सिखाया जाए। संबंधित बच्चे ने भी वायरल वीडियो में यह स्वीकार किया है कि वह पहाड़ा याद करके नहीं गया था। इस पर उसकी टीचर ने उसकी पिटाई करवाई थी। शिक्षिका का यह भी कहना है कि वह विकलांग है, इसलिए उसने इस छात्र के सहपाठियों से उसे थप्पड़ लगाने को कहा था।

खास बात यह है कि पहले इस छात्र के पिता ने शिक्षिका के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने से इंकार कर दिया था और दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया था। मगर बाद में कुछ कांग्रेसी नेताओं के दबाव पर इस व्यक्ति ने शिक्षिका खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत की। मुजफ्फरनगर के एक वकील एसएम हैदर रिजवी ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निगरानी में सीबीआई या एटीएस से करवाई जाए। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि नफरत की आग अब शिक्षा संस्थानों तक भी पहुंच चुकी है और यह बेहद खतरनाक है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि यह नफरत का एजेंडा अब स्कूलों तक पहुंच गया है। भाजपा सांसद वरूण गांधी ने इस घटना की निंदा की है और शिक्षिका की इस हरकत को शर्मनाक बताया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (27 अगस्त) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र लिखकर दोषी शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक अन्य समाचार में कहा गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने इस गांव का दौरा किया और थप्पड़ मारने वाले छात्रों को पीड़ित बच्चे के साथ गले मिलवाया।

मुंबई उर्दू न्यूज (26 अगस्त) के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव ने कहा है कि दो लोगों ने इस देश में नफरत का इतना जहर घोल दिया है कि उसे मिटाने में कई दशक लग जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है कि हिंदू-मुसलमान के नाम पर सरकार मासूम बच्चों को दंगाई बना रही है।

इत्तेमाद (28 अगस्त) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस स्कूल को बंद कर दिया है और आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि यह भाजपा द्वारा फैलाए गए नफरत के जहर का परिणाम है। पीड़ित छात्र के पिता ने यह स्वीकार किया है कि वह इस घटना को सांप्रायिक रंग नहीं देना चाहता था। क्योंकि इससे गांव का माहौल बिगड़ता। लेकिन कुछ कांग्रेसी नेताओं के कहने पर अब उसने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज की है। गांव के ही इमरान सिद्दीकी नामक एक युवक ने कहा कि वह और उसके परिवार के अनेक मुस्लिम बच्चे इस स्कूल में इसी शिक्षिका से पढ़े हैं और इस शिक्षिका ने धार्मिक आधार पर कभी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं किया है।

औरंगाबाद टाइम्स (27 अगस्त) ने इस समाचार को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है और उसका शीर्षक दिया है, "उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूलों तक को नफरत से भर दिया।" "भगवा टीचर ने मासूम मुस्लिम छात्र को बच्चों से पिटवाया।" "भाजपा के फैलाए हुए केरोसिन ने देश में आग लगा रखी है : राहुल गांधी।"

इंकलाब (29 अगस्त) के अनुसार पीड़ित छात्र की पहचान उजागर करने के आरोप में पत्रकार मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मुस्लिम बच्चे को उसके सहपाठियों

द्वारा थप्पड़ मारने के वीडियो को साझा किया था। जुबैर ने कहा है कि मुसलमान होने के कारण मुझे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।

उर्दू टाइम्स (27 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि स्कूलों में भी नफरत का जहर घुल गया है। संपादकीय में कहा गया है कि इस देश में अब मुसलमान कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हाल ही में मुजफ्फरनगर के एक गांव में एक शिक्षिका ने एक मुस्लिम छात्र की पिटाई करने के लिए हिंदू लड़कों को आदेश दिया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद अब पूरे देश में इस घटना की निंदा हो रही है। आरोपी शिक्षिका ने भी अब माफी मांग ली है। मगर क्या सिर्फ माफी मांगने से इस घटना को भुलाया जा सकता है। ऐसी सांप्रदायिक और नफरत से भरी हुई शिक्षिका को तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि इस देश का संविधान सुरक्षित रह सके।

हमारा समाज (27 अगस्त) ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि टीचर के लिबास में बैठी इस चुड़ैल का नाम तृप्ता त्यागी है। क्या इस बच्चे को इसलिए पीटा गया कि वह मुसलमान है? क्या मार खाने वाला यह मासूम बच्चा अब पूरी जिंदगी इस जलालत की दलदल से निकल पाएगा? इसके अंदर नफरत का जो जहर पैदा होगा उसे कौन बुझाएगा? अफसोस की बात यह है कि इस पूरी घटना का वीडियो बनाया गया और इसे वायरल इसलिए किया गया ताकि नफरत की आग और भी भड़क सके। उत्तर प्रदेश

सहित पूरे देश में धार्मिक नफरत और इस्लामोफोबिया का वायरस तेजी से फैल रहा है। हिंदुस्तान में हिंदू-मुस्लिम भाईचारे का जनाजा निकल चुका है। कैसे एक टीचर अपने ही छात्र से उसके धर्म के नाम पर इतनी नफरत कर सकती है? आखिर उत्तर प्रदेश पर किन राक्षसों का कब्जा हो गया है?

सियासत (27 अगस्त) ने अपने संपादकीय में इस बात पर चिंता प्रकट की है कि संघ परिवार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो नफरत का माहौल पैदा किया है उससे देश में मुसलमानों को मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि सरकार भी इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वैसे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मुस्लिम विरोधी रूख के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। वे हमेशा मुसलमानों को अपना निशाना बनाते हैं। मुल्क के भविष्य को संवारने के जिम्मेवार लोग स्कूली बच्चों के दिलो दिमाग में जहर भर रहे हैं। यह जुनूनी हरकत किसी एक मुस्लिम लड़के के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश के सभी मुसलमानों के खिलाफ है।

नूंह दंगों के पीछे कांग्रेस का हाथ

ट्रिब्यून (31 अगस्त) के अनुसार हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा में यह आरोप लगाया है कि पिछले महीने नूंह में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे कांग्रेस का हाथ था। उन्होंने यह भी कहा कि इन दंगों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे और नूंह में हुए दंगों के वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया में उसी समय वायरल की गई। उन्होंने कहा कि अभी तक 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे पूछताछ में इस बात का पता चला है कि कांग्रेस के नेताओं ने इन दंगों की तैयारी काफी समय पहले ही कर ली थी। उन्होंने कहा कि हम गुप्तचर एजेंसियों से इन दंगों की पृष्ठभूमि की व्यापक स्तर पर जांच करवा रहे हैं। इस संबंध में 160 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन दंगों की साजिश रचने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अनिल

विज ने इस संबंध में मेवात के दो कांग्रेसी विधायकों के नामों की विशेष रूप से चर्चा की और कहा कि कांग्रेस विधायक मामन खान जहां-जहां गए, वहीं-वहीं दंगे भड़के। इससे साफ है कि इन दंगों की योजना मामन खान और उनके सहयोगियों ने बनाई थी।

इंकलाब (29 अगस्त) के अनुसार मेवात के नूंह क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, सर्व जातीय

हिंदू महापंचायत और बजरंग दल की अपील पर कुछ लोग आज फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर डटे रहे। मगर सरकार के कड़े रूख के कारण यह यात्रा बड़े पैमाने पर नहीं निकल सकी। हरियाणा सरकार ने चार जिलों की सीमाएं सील कर दी थीं। बाद में विश्व हिंदू परिषद के अनुरोध पर पुलिस 51 लोगों को तीन गाड़ियों में भरकर नलहर महादेव मंदिर ले गई, जहां उन्होंने जलाभिषेक किया। जबकि 11 लोगों को सांकेतिक यात्रा निकालने की अनुमति दी गई। पटौदी आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार के नेतृत्व में मंदिर में जल चढ़ाया गया। इसके बाद ये लोग फिरोजपुर झिरका व सिंगार पहुंचे और वहां के राधाकृष्ण मंदिर में जल चढ़ाने के बाद यह यात्रा समाप्त हो गई। समाचारपत्र का कहना है कि नूंह में कर्फ्यू जैसा माहौल था और सभी स्कूल, कॉलेज, बाजार व कार्यालय बंद थे। इस बार मुसलमानों ने पूरी सावधानी बरती और मस्जिदों से ऐलान किया गया कि कोई भी मुसलमान उस दिन अपने घरों से बाहर न निकले। इस मामले का एक रोचक पहलू यह है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन ने भी मंदिर पहुंचकर यात्रा में हिस्सा लिया।

उर्दू टाइम्स (24 अगस्त) के अनुसार नूंह के पुलिस उपायुक्त ने कहा है कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की इजाजत मांगने वाली दरखास्त को रद्द कर दिया गया है। जबकि विश्व हिंदू परिषद के एक नेता देवेंद्र सिंह ने कहा कि हमें धार्मिक यात्रा निकालने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि 13 अगस्त को पलवल में एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें 28 अगस्त को फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने की घोषणा की गई थी। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार यात्रा निकालने की अनुमति किसी भी सूरत में नहीं देगी। मगर बाद में सरकार ने सांकेतिक रूप से यात्रा निकालने की अनुमति दे दी।

उर्दू टाइम्स (29 अगस्त) ने ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के समाचार का शीर्षक दिया है, "नूंह में सन्नाटे के बीच विश्व हिंदू परिषद की जलाभिषेक यात्रा।" "सिर्फ 11 लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी गई।" "बाहर के लोगों का नूंह में दाखिला बंद।" मस्जिदों पर पुलिस का सख्त पहरा।" समाचारपत्र ने कहा है कि अयोध्या और देश के अन्य भागों से जो साधु-संत इस यात्रा में भाग लेने के लिए आए थे, उन्हें पुलिस ने मेवात में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी। इस पर उन्होंने सीमा पर ही धरना दे दिया। हरियाणा सरकार ने दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाएं भी सील कर दी थी।

मुंबई उर्दू न्यूज (29 अगस्त) का शीर्षक है, "नूंह में वीएचपी की यात्रा नहीं निकली।" "200 से अधिक लोग गिरफ्तार।" "पुलिस ने 51 लोगों को मंदिर में ले जाकर जलाभिषेक करवाया।"

उर्दू टाइम्स (29 अगस्त) ने इस समाचार का शीर्षक दिया है, "नूंह पहुंचे वीएचपी के नेता आलोक कुमार का आक्रामक रूख, कहा यात्रा पर प्रतिबंध हमें स्वीकार नहीं और यह जरूर निकलेगी।"

उर्दू टाइम्स (24 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा का तबादला कर दिया है। उनका जुर्म यह था कि

उन्होंने रेवाड़ी की 50 पंचायतों द्वारा मुसलमानों का बहिष्कार करने के फैसले पर उनसे जवाब तलब किया था। समाचारपत्र का कहना है कि हरियाणा में भाजपा सरकार की बदौलत सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। पंचायतों का यह फैसला हरियाणा के इतिहास में पहली बार सामने आया है। उनका यह फैसला गैरकानूनी और संविधान के खिलाफ था। इमरान रजा ने सिर्फ उनसे जवाब तलब किया था। उनके इस कदम की उन्हें सजा दी गई और उनका तबादला रेवाड़ी से जींद कर दिया गया है। यह घटना मुसलमानों की इस गलतफहमी को दूर करने के लिए भी काफी है, जो इस स्वप्न में जीते हैं कि अगर कोई मुसलमान आईएएस अधिकारी बन जाएगा तो मुस्लिम कौम के वारे न्यारे हो जाएंगे।

ज्ञानवापी विवाद को अदालत से बाहर सुलझाने का प्रयास विफल

रोजनामा सहारा (18 अगस्त) के अनुसार विश्व वैदिक सनातन संघ ने ज्ञानवापी परिसर विवाद के मामले को अदालत से बाहर सुलझाने के जो प्रयास शुरू किए थे, वह विफल हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार विश्व वैदिक सनातन संघ ने यह सुझाव पेश किया था कि दोनों पक्ष अदालत से बाहर वार्ता करके इस विवाद को सुलझा लें और इस संबंध में बातचीत के लिए संस्था ने दोनों पक्षों को आमंत्रण भी भेजा था। दोनों पक्षों को भेजे पत्र में संस्था द्वारा कहा गया था कि यह बात हर व्यक्ति को मालूम है कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी विवाद के बारे में अदालत में अपना पक्ष सही ठहराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस विवाद का इस्तेमाल कुछ समाज दुश्मन तत्व अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए करना चाहते हैं, जोकि देश और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। ऐसी स्थिति में हम लोगों की यह जिम्मेवारी है कि समाज और देश के हितों को देखते हुए इस विवाद को शांतिमय तरीके से आपसी बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए। मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के महासचिव मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने इस सुझाव का स्वागत किया है और कहा है कि इस मामले पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

दूसरी ओर, हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि यह संभव नहीं है। हम न तो इस सिलसिले में मेज पर बैठेंगे और न ही एक इंच जमीन छोड़ेंगे। हमारा केस बहुत मजबूत है और निश्चित रूप से हमें अदालत में सफलता मिलेगी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिंदू पक्ष ने मस्जिद कमेटी को बातचीत के लिए कोई आमंत्रण नहीं दिया है और न ही इस संबंध में कोई बातचीत की जा सकती है। मस्जिद कमेटी को सिर्फ एक पक्ष राखी सिंह और उनके वकील जितेंद्र सिंह विसेन की ओर से अदालत के बाहर बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने का प्रस्ताव भेजा गया था। विष्णु जैन ने कहा कि जिस एक्ट के तहत अदालत में मुकदमा चल रहा है, उसके अनुसार कोई भी पक्ष अदालत के बाहर पहल नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में अदालत से बाहर किसी भी तरह की वार्ता करना

अनुचित है और इसे हिंदू पक्ष कभी स्वीकार नहीं करेगा।

सालार (18 अगस्त) के अनुसार हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि एक ओर तो सर्वेक्षण चल रहा है। वहीं दूसरी ओर, अदालत से बाहर वार्ता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम ज्ञानवापी परिसर की एक इंच की भूमि पर भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये देवताओं की भूमि है। हमारी मांग है कि मुस्लिम पक्ष अपनी याचिका वापस ले ले और ज्ञानवापी मस्जिद को खाली करके उसे हमारे हवाले कर दे। आखिर मुस्लिम पक्ष से हम किस आधार पर समझौता करें? समझौते का मतलब होता है कुछ लेना और कुछ देना। हम अपने देवता की संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। जो भूमि 300 साल तक हमारे देवता की थी, उसे जबरन मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। जैन ने कहा कि अब दोनों पक्ष अदालत में अपने-अपने केस को लड़ रहे हैं और अदालत ही इसका फैसला करेगी। हम किसी भी सूरत में अदालत के बाहर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ ज्ञानवापी तक ही सीमित नहीं है। हमारी लड़ाई हर उस धार्मिक ढांचा के बारे में है जो पहले कभी मंदिर था और उसे मस्जिद बनाने के लिए तोड़ दिया गया। हमारा संघर्ष पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ भी है। ऐसी स्थिति में समझौते का सवाल ही कहां पैदा होता है?

उर्दू टाइम्स (19 अगस्त) के अनुसार एक ओर तो ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण जारी है। दूसरी ओर, इससे संबंधित कुछ अन्य याचिकाएं भी अदालत में विचाराधीन हैं। एक याचिका यह है कि ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों की संख्या सीमित कर दी जाए। राखी सिंह की अपील पर जिला अदालत से यह मांग की गई है कि परिसर में मौजूद हिंदू प्रतीकों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए, ताकि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और नमाज पढ़ने वाले उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सकें। मस्जिद कमेटी की ओर से दो वकील मुमताज अहमद और रईस अहमद ने कहा कि उन्हें अभी तक हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका की प्रतिलिपि नहीं दी गई है। प्रतिलिपि प्राप्त होने के बाद ही वे उसका अध्ययन करके जवाब देंगे। हिंदू पक्ष के एक अन्य वकील विष्णु शंकर जैन ने भी याचिका की प्रतिलिपि मांगी है।

समाचारपत्र का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इस बात का वैज्ञानिक सर्वेक्षण हो रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? क्या इससे पहले यहां पर कोई अन्य इमारत थी? अगर थी तो उसका निर्माण कब हुआ था? ज्ञानवापी परिसर की बनावट किस तरह की है? वाराणसी की जिला अदालत ने एएसआई को अगले महीने तक सर्वे की रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब तक अदालत में जितने भी तर्क दिए गए हैं वे सभी मस्जिद को मंदिर साबित करने के हैं। मुस्लिम पक्ष की यह शिकायत है कि राजनीतिक कारणों से हिंदू पक्ष इस विवाद को बाबरी मस्जिद जैसा स्वरूप प्रदान करना चाहता है।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में करोड़ों का घोटाला

रोजनामा सहारा (20 अगस्त) के अनुसार हाल ही में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की जांच के अनुसार इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने वाले 53 प्रतिशत छात्र फर्जी पाए गए हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों में एक अरब 44 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। जांच के दौरान 830 संस्थानों में इस योजना में हेराफेरी और भ्रष्टाचार का पता चला है। इस योजना का लाभ एक लाख 80 हजार अल्पसंख्यक संस्थान उठा रहे हैं। कई राज्यों में तो लाभार्थी और संस्थान भी फर्जी पाए गए हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने इस घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है।

विभागीय जानकारी के अनुसार देश के सौ जिलों में इस योजना का लाभ उठाने वालों का सर्वेक्षण किया गया है। 21 राज्यों के 1572 अल्पसंख्यक संस्थानों में से 830 संस्थान फर्जी पाए गए हैं, जिन्होंने अवैध रूप से 144 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। रोचक बात यह है कि जिन लोगों को इस छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्तियां देने का दावा किया गया है, उनमें से 53 प्रतिशत छात्र फर्जी पाए गए हैं। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस योजना में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। जिन संस्थानों ने इस योजना के तहत धनराशि प्राप्त की है, उनमें से अधिकांश या तो मौजूद नहीं हैं या निष्क्रिय पड़े हुए हैं और उनका सारा काम ठप पड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ में 62 संस्थानों की जांच की गई और वे सभी फर्जी पाए गए। राजस्थान के 128 संस्थानों की जांच की गई, जिनमें से 99 फर्जी पाए गए। असम में 68 प्रतिशत संस्थान फर्जी पाए गए, तो कर्नाटक में ऐसे संस्थानों की संख्या 64 प्रतिशत है। वहीं उत्तर प्रदेश में 44 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 39 प्रतिशत शिक्षा संस्थान फर्जी पाए गए हैं।

गौरतलब है कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2007-8 में की गई थी और एक लाख 80 हजार संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति की रकम वसूली जा रही है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार इन संस्थानों के नोडल अधिकारियों की जांच की जाएगी, जिन्होंने इन फर्जी संस्थानों को छात्रवृत्ति की धनराशि देने की मंजूरी दी थी और ऐसे कई राज्यों में वर्षों तक इस योजना के तहत फर्जी उम्मीदवारों को धनराशि का भुगतान किया जाता रहा। सीबीआई को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह इस बात की भी जांच करे कि बैंकों में लाभार्थियों के फर्जी आधार कार्ड और केवाईसी के बुनियाद पर फर्जी खाते खोलने की अनुमति कैसे दी गई?

अभी तक अल्पसंख्यक मंत्रालय की जांच में कई सनसनीखेज मामले सामने आए हैं। जैसे केरल के मलप्पुरम में बैंक की एक शाखा ने 66 हजार छात्रवृत्तियां बांटी, जोकि इस योजना के तहत पंजीकृत छात्रों की संख्या से दोगुनी है। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में एक कॉलेज में

पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या सिर्फ 5 हजार है, मगर उन्होंने सात हजार लोगों के लिए छात्रवृत्तियां प्राप्त कीं। एक अभिभावक का मोबाइल नंबर 42 बच्चों से जुड़ा हुआ है और वे सभी नौवीं कक्षा के छात्र हैं। एक अन्य अल्पसंख्यक संस्थान में होस्टल न होने के बावजूद सभी छात्रों को हॉस्टल स्कॉलरशिप दिए जाने का दावा किया गया। असम के एक बैंक की शाखा से साठ हजार लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि दी गई। जबकि जांच में वे सभी फर्जी पाए गए। पंजाब में अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां पुष्टि न होने के बावजूद भी दी गईं। समाचारपत्र का कहना है कि इस बात की संभावना है कि यह घोटाला हजारों करोड़ का है। ये छात्रवृत्तियां पहली कक्षा से पीएचडी तक के अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाती हैं।

उर्दू टाइम्स (22 अगस्त) के अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा है कि यह घोटाला केंद्र की मोदी सरकार की लापरवाही के कारण हुआ है और इसमें मंत्रालय के कई अधिकारी लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय से संबंधित विभिन्न योजनाओं की सीबीआई से जांच करवाई जाए तो अरबों रुपये का घोटाला प्रकाश में आएगा। उन्होंने यह संदेह व्यक्त किया है कि अब इस घोटाले की आड़ लेकर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की रही सही छात्रवृत्तियां भी बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि एक ही मोबाइल नंबर पर दर्जनों छात्रवृत्तियां सरकार ने कैसे स्वीकार की और उनका सत्यापन किस आधार पर किया गया? क्या इसके लिए सरकारी अधिकारी दोषी नहीं हैं?

मुंबई उर्दू न्यूज (18 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है घोटालों की भरमार हो गई है। समाचारपत्र ने कहा है कि मोदी सरकार मनमोहन सरकार के घोटालों की आड़ लेकर सत्ता में आई थी। हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट से मोदी सरकार के खरबों रुपये के घोटाले प्रकाश में आए हैं। मगर संसद में भारी बहुमत होने के कारण इन घोटालों की जांच करवाने के प्रश्न पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इस समय क्योंकि विपक्ष विभाजित है, इसलिए वह मोदी सरकार की घेराबंदी नहीं कर पा रही है। मोदी सरकार के जो घोटाले सामने आए हैं उनका अध्ययन करने से कांग्रेस के घोटालों की चमक फीकी पड़ गई है।

समाचारपत्र का कहना है कि हैरानी की बात यह है कि जब विपक्षी सांसद इन घोटालों के बारे में सदन में मामला उठाते हैं तो उनके माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं या उनके आरोपों को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। इस साल के प्रारंभ में अडानी का घोटाला सामने आया था। मोदी सरकार और गौतम अडानी के रिश्ते जगजाहिर हैं। हैरानी की बात यह है कि मीडिया में इन घोटालों की आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। इन घोटालों में आयुष्मान घोटाला, सड़कों के निर्माण का घोटाला आदि शामिल हैं। अगर इन घोटालों को इकट्ठा कर दिया जाए तो यह लाखों करोड़ का घोटाला बनता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने-अपने प्रेस कांफ्रेंस के जरिए इन घोटालों का पर्दाफाश किया है। हालांकि, मीडिया इन पर चुप्पी साधे हुए है। सरकार के घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने वालों की जुबान सीबीआई और आयकर विभाग के छापों से बंद कर दी जाती हैं। लेकिन अब यह आवाज दबने वाली नहीं है। सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी भाजपा को भ्रष्टाचार के खात्मे में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिन घोटालों को मुद्दा बनाकर वे सत्ता में आए थे, वे सभी कथित घोटाले अदालतों में टिक नहीं पाए। दूसरा यह कि भ्रष्टाचार भाजपा के लिए एक राजनीतिक हथियार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिन भ्रष्टाचारियों ने भाजपा की शरण ली उनके सारे गुनाह माफ कर दिए गए। भ्रष्टाचार के आरोप में जिन विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई या इसकी

योजना बनाई गई, उनका लक्ष्य सिर्फ उनको चुप कराना था।

अवधनामा (21 अगस्त) ने सीएजी की रिपोर्ट पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया है। सीएजी की रिपोर्ट में सड़क निर्माण की लागत में घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इसी तरह से टोल प्लाजों के मामले में भी अरबों रुपये का गबन सामने आया है। ऐसा ही एक घोटाला आयुष्मान भारत योजना का भी है, जिसमें साढ़े सात लाख लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर पर पंजीकृत हैं और हैरानी की बात यह है कि वह नंबर भी गलत है।

जदीद मरकज (20 अगस्त) ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 अगस्त को यह दावा किया था कि उनकी सरकार घोटाला मुक्त सरकार है। जबकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीएजी की ताजा रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि देश के इतिहास में मोदी सरकार अब तक की सबसे बेईमान और घोटालेबाज सरकार है। संसद में सीएजी की जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसके अनुसार आयुष्मान भरत योजना और हाईवे निर्माण की योजना में अरबों रुपये का घोटाला हुआ है। इसके अतिरिक्त वृद्धों को मिलने वाली पेंशन में भी भारी घोटाला पाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज कराने का ढिंढोरा खूब पीटा था। मगर सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार यह पूरी योजना ही घोटाले के घेरे में आ गई है। क्योंकि एक मोबाइल नंबर पर एक ही कार्ड जारी होने का नियम है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ तीन मोबाइल नंबरों पर ही दस लाख कार्ड जारी हो गए। इस रिपोर्ट को हालांकि, आठ अगस्त को ही सदन में पेश की गई थी, मगर संसद का अधिवेशन स्थगित होने तक इस पर किसी भी सदन में कोई चर्चा नहीं की गई।

समाचारपत्र ने लिखा है कि सीएजी की रिपोर्ट में ही डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार पर यह आरोप लगाया गया था कि 2जी स्पेक्ट्रम और कोयले के खदानों की नीलामी न करवाकर सरकार को साढ़े तीन हजार करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। तब भाजपा और अन्ना हजारे ने इन घोटालों की आड़ लेकर आसमान सिर पर उठा लिया था। अन्ना हजारे को दिल्ली लाकर अनशन पर बैठाया गया और देश का पूरा मीडिया कांग्रेस के पीछे पड़ गया। लेकिन अब उसी तरह की सीएजी रिपोर्ट पर कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है और न्यूज चैनल सरकार की गुलामी में लगे हुए हैं।

2024 के लोकसभा चुनावों में मुसलमानों की रणनीति

उर्दू टाइम्स (18 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि 2024 के आम चुनाव को देखते हुए मुसलमानों को एक स्पष्ट रणनीति अपनानी चाहिए ताकि उनकी मर्जी के बिना केंद्र में कोई भी पार्टी अपनी सरकार न बना पाए। इसके लिए यह जरूरी है कि मुसलमान एकजुट हों। अभी तक मुसलमान एक स्पष्ट चुनावी रणनीति तैयार करने और उसे अपनाने में विफल रहे हैं। यही कारण है कि वे अलग-अलग पार्टियों का दामन थाम लेते हैं। इसके कारण उनके मत विभाजित हो जाते हैं और इसका पूरा लाभ भाजपा को मिलता है। कर्नाटक विधानसभा के हाल के चुनाव में भाजपा की हार का मुख्य कारण वहां के मुसलमानों की यह स्पष्ट नीति थी कि उन्हें हर कीमत पर भाजपा को हराना है। यही कारण है कि मुस्लिम वोटों के बल पर कांग्रेस सत्ता में आई। हालांकि, कांग्रेस भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने में विफल रही। कर्नाटक में 2017 में भाजपा को जितने प्रतिशत मत मिले थे, उतने ही प्रतिशत मत इस बार भी मिले। लेकिन मुसलमानों ने कांग्रेस के पक्ष

में एकजुट होकर वोट दिए और यही कारण है कि भाजपा कर्नाटक का चुनाव हार गई।

अभी तक मुसलमान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई ऐसी साफ चुनावी रणनीति बनाने में सफल नहीं हुए हैं। आईएनडीआईए गठबंधन का असर कितना पड़ता है यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब तक मोदी भक्तों को कमजोर नहीं किया जाता और उन्हें भाजपा से अलग नहीं किया जाता, तब तक भाजपा को हराना मुश्किल है। भाजपा का वोट बैंक काफी मजबूत है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से यह घोषणा कर रहे हैं कि अगले साल भी मैं ही लाल किले पर झंडा फहराऊंगा। यह प्रधानमंत्री की शोशेबाजी नहीं है, बल्कि उनकी चुनावी रणनीति है। चाहे वे ईवीएम के रूप में ही क्यों न हो। इसलिए चीखने-चिल्लाने और जलसा करने से ज्यादा महत्त्वपूर्ण यह है कि ऐसी कोई रणनीति अपनाई जाए, जिससे मोदी भक्त भाजपा से अलग हो जाएं और भाजपा मुसलमानों के खिलाफ कुछ करने से घबराए। इसमें यह रणनीति भी अपनाई जा सकती है कि मुसलमान बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हो जाएं। जब दाढ़ी-टोपी वाले और बुर्कापोश महिलाओं की संख्या पार्टी में बढ़ेगी तो कट्टर हिंदूवादियों के कान खड़े हो जाएंगे और वे यह कहना शुरू कर देंगे कि अब तो भाजपा भी कांग्रेस की तरह ही बन गई है और वे भाजपा से नाराज होकर अलग हो जाएंगे। यह यहूदियों की रणनीति थी और इस पर उन्होंने 50 वर्ष तक मेहनत की। तब जाकर वे आज पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। इस तरह की गुप्त योजना मुसलमानों को भी बनानी पड़ेगी। इसके बिना भाजपा को चुनाव में पराजित करना असंभव है।

मुंबई उर्दू न्यूज (21 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि आईएनडीआईए के बैनर तले विपक्षी दलों के गठबंधन ने केंद्र के शासक टोले की नींद हराम कर दी है। इसलिए भाजपा ने जवाबी अभियान चलाने का फैसला किया है। अब उत्तर प्रदेश से ऐसे समाचार आ रहे हैं कि वहां पर भाजपा की घेराबंदी की तैयारी पूरी हो गई है और विपक्षी एकता का प्रारूप तैयार हो चुका है। उत्तर प्रदेश का देश की राजनीति में बहुत महत्व है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को इसलिए हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि भाजपा को उत्तर प्रदेश में आशा के अनुरूप कामयाबी नहीं मिली थी। 2014 में मोदी को शानदार कामयाबी इसलिए मिली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा शानदार प्रदर्शन करने में सफल रही। उत्तर प्रदेश में जात-पात और संप्रदाय के आधार पर जो तस्वीर बनी है उससे यह अंदाजा

होता है कि अगर विपक्षी दलों में तालमेल हो जाए तो भाजपा को परेशानी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट लगभग 19 प्रतिशत हैं। पहले ये वोट कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को मिलते रहे हैं। जिस पार्टी को मुस्लिम वोट मिले वही जीती। इस साल कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए यह संभव नहीं है। यहां पर मुस्लिम वोट तभी एकजुट हो सकता है जब विपक्षी दलों में बेहतर तालमेल हो और इस गठबंधन में मायावती भी शामिल हों। अगर महत्त्वपूर्ण विपक्षी पार्टियों यानी कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में तालमेल हो जाता है तो इससे मुस्लिम मतों का विभाजन रूक जाएगा। मगर इसके लिए यह जरूरी है कि मायावती प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हों। मायावती के पास दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा है। अगर मायावती चुनाव में सक्रिय नहीं रहती हैं तो ये दलित वोट भाजपा के पास चला जाएगा। इसलिए मायावती को विपक्ष के पाले में लाना बेहद जरूरी है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (23 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने और आने वाले चुनाव में भाजपा को जबरदस्त टक्कर देने के इच्छुक विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए का भविष्य क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। मगर जिस तरह से इस गठबंधन में शामिल दो पार्टियों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मतभेदों की खबर आ रही है उसे विपक्षी एकता के लिए अच्छी खबर नहीं कहा जा सकता। इसमें दो राय नहीं है कि एनडीए यानी भाजपा और उसके सहयोगी पार्टियों से मुकाबला करने के लिए विपक्ष की पार्टियों को एकजुट करना आसान काम नहीं है। जब विपक्ष की छोटी और बड़ी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है तो यह जरूरी है कि एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया जाए। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने की वजह से यह जरूरी है कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाए और छोटी पार्टियों की भावनाओं का आदर करे। मगर यदि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो आईएनडीआईए का सत्ता में आने का स्वप्न टूट जाएगा। इसलिए विपक्षी दलों को बुद्धिमता से काम लेकर आपसी मतभेदों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का सबसे बड़ा गुनाह उनकी कांग्रेस परस्ती है। इसलिए उन्हें हर राजनीतिक पार्टी नजरअंदाज कर रही है। ताजा उदाहरण भाजपा की विरोधी राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन आईएनडीआईए का है। इसमें अभी तक 26 राजनीतिक दल शामिल हो चुके हैं। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अतिरिक्त किसी भी मुस्लिम पार्टी को इस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है और शायद किसी मुस्लिम पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करने पर विचार भी नहीं किया जा रहा है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन और मौलाना बदरूद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को इस गठबंधन में शामिल करने से पहले ही इंकार कर दिया गया है। इन मुस्लिम पार्टियों पर यह आरोप है कि ये दोनों पार्टियां अंदर से भाजपा के साथ हैं। नीतीश कुमार ने यह आशा व्यक्त की है कि इस गठबंधन में कई और पार्टियां शामिल होंगी। मगर उनमें कोई मुस्लिम पार्टी नजर नहीं आती। मसलन, उत्तर प्रदेश की दो राजनीतिक पार्टियां उलेमा काउंसिल और पीस पार्टी ऑफ इंडिया या फिर वेल्फेयर पार्टी को ही ले लें तो शायद ही उन्हें आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल करने पर विचार किया जाए।

समाचारपत्र का कहना है कि अभी तक मुसलमान दिल खोलकर कांग्रेस को अपना वोट देते रहे हैं और अगर कहीं उन्हें कांग्रेस का

विकल्प दिखाई देता है तो उनके वोट समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल (यूनाइटेड) में बंट जाते हैं। मुसलमानों पर यह ठप्पा लग गया है कि वे उन पार्टियों को इसलिए वोट देते हैं ताकि भाजपा हार जाए। इसका नतीजा यह निकला है कि सेक्युलर मानी जाने वाली पार्टियों ने यह समझ लिया है कि मुसलमान जाएंगे तो कहां जाएंगे। वे हर हालत में भाजपा को हराने के लिए हमें वोट देंगे। इस सोच ने मुसलमानों के वोट बैंक के महत्व को खत्म कर दिया है। इस सोच के कारण देश से मुस्लिम राजनीति और मुस्लिम लीडरशिप का खात्मा हो रहा है। दूसरी ओर, भाजपा की रणनीति यह है कि मुसलमान वोटों की चिंता किए बिना हिंदू वोटों को एकजुट किया जाए।

भाजपा की नई रणनीति

तासीर (20 अगस्त) ने अपने संपादकीय में भाजपा की नई चुनावी रणनीति की चर्चा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने भाजपा के कैडर को चुनाव जीतने का मंत्र दिया है। उनका कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। कमरों में बैठ कर काम करने की बजाय मैदान में पसीना बहाना चाहिए। तभी भाजपा का ग्राफ ऊपर जा सकेगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए प्रधानमंत्री का यह संदेश उस समय आया है जब देश के पांच राज्यों में शीघ्र ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव को भी अब सिर्फ सात महीने ही रह गए हैं। यह बात मशहूर है कि भाजपा ने आम चुनावों में मोदी के चेहरे पर बार-बार कामयाबी हासिल की है। उसने स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देने या उनका समाधान खोजने का कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। कर्नाटक के हाल के चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को उछालकर भाजपा के विजय अभियान में पलीता लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह भी बताया है कि उनकी पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जुबानी जमा खर्च नहीं कर रही है, बल्कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए यह जरूरी है कि गांवों के परंपरागत कारीगरों की सूची बनाई जाए और उनकी सहायता के लिए रास्ते खोजे जाएं। जनता की स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनसहयोग प्राप्त करने के लिए हमें हर वर्ष ऐसे चार पांच अवसर तलाशने चाहिए, जिसमें सरकार और पंचायतों के नेतृत्व में पूरे जिले के लोग शामिल हों। वन महोत्सव इसका उदाहरण है। समारोह सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं होने चाहिए, बल्कि उसमें जनता का भी सहयोग होना चाहिए। भाजपा पर नजर रखने वाले पर्यवेक्षकों का कहना है कि पार्टी ने अचानक से स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देना शुरू नहीं किया है, बल्कि कुछ समय से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार सिर्फ मोदी के चेहरे की बदौलत चुनाव जीतना संभव नहीं है। इसलिए भाजपा ने स्थानीय समस्याओं के आधार पर चुनावी रणनीति बनाने का फैसला किया है।

मलियाना हत्याकांड पर निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती

उर्दू टाइम्स (22 अगस्त) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश लखविंदर सिंह सूद के मलियाना हत्याकांड पर दिए फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि 31 मार्च 2023 को मेरठ की इस अदालत ने मई 1987 के मलियाना हत्याकांड के 39 आरोपियों को बरी कर दिया था। इन आरोपियों पर यह आरोप था कि उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर 72 मुसलमानों की हत्या कर दी थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सचिन मोहन के अनुसार जिलाधिकारी ने निचली अदालत के फैसले से सहमति व्यक्त नहीं की है और उन्होंने उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता से अनुरोध किया है कि इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस मामले की अगली सुनवाई अगले महीने करेगी। राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली और पूर्व डीजीपी विभूमि नारायण राय ने किया है। कुर्बान अली ने कहा है कि दोषियों को सजा दिलाना सरकार का कर्तव्य है। इसलिए मैं राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि दस गवाहों ने अदालत में गवाही दी थी। मगर इसके बावजूद सरकारी पक्ष ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में सफल नहीं हो सका।

राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ एक फौजदारी अपील 27 जून को दायर की थी। इस पर 11 जुलाई को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला ने राज्य सरकार और 39 आरोपियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। यह अपील मोहम्मद याकूब, वकील अहमद और इस्माइल खान ने दायर की थी। इनमें से याकूब ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। जबकि वकील अहमद गोली लगने से घायल हो गए थे। वहीं इस्माइल खान के परिवार के 11 लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे। महत्त्वपूर्ण गवाह याकूब ने कहा था कि मैं सत्र न्यायालय के 31 मार्च के फैसले को सुनकर हैरान रह गया था। इसलिए हमने उच्च न्यायालय में सीआरपीसी एक्ट की धारा 372 के तहत अपील दायर की थी।

पाकिस्तान में गिरजाघरों और ईसाई बस्तियों पर हमले

इंकलाब (18 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तानी पंजाब के जरांवाला नगर में दो ईसाइयों द्वारा पैगम्बर और कुरान की तौहीन करने के कथित आरोप के बाद मुसलमानों की उग्र भीड़ ने एक दर्जन से अधिक गिरजाघरों और ईसाइयों की चार बस्तियों के दर्जनों मकानों को फूंक डाला। जरांवाला के उपायुक्त अली अन्नान कमर ने बताया कि इन हमलों के सिलसिले में 400 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब तक 128 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अर्धसैनिक बलों को जिला फैसलाबाद में तैनात किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि दो ईसाइयों पर रसूल की तौहीन करने का आरोप लगाए जाने के बाद उग्र भीड़ ने एक दर्जन से अधिक गिरजाघरों और 100 के करीब मकानों को आग लगा दिया।

पंजाब सरकार ने जरांवाला की घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने की घोषणा की है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इन ईसाइयों ने कुरान का अपमान करके मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये घटनाएं हुई। सरकार ने पूरे पंजाब में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक का कहना है कि पूरी घटना की उच्चस्तरीय जांच कराई जा रही है। अमन कमेटी के 42 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में 200 से अधिक मुकदमे विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं। पुलिस दंगाईयों की पहचान करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर रही है। पंजाब पुलिस के महानिरीक्षक उस्मान अनवर ने घटनास्थल का दौरा किया और उन्होंने यह निर्देश दिया है कि गुप्तचर एजेंसियों द्वारा इस पूरी घटनाक्रम की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाएगी।

पाकिस्तान के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह स्वीकार किया है कि उग्र भीड़ ने कई गिरजाघरों और दर्जनों मकानों को लूटने के बाद उनमें आग लगा दी। आयोग ने कहा है यह घटना शर्मनाक है। पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर ने कहा है कि सरकार

उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, जिन्होंने कानून को अपने हाथों में लेकर अल्पसंख्यकों को अपना निशाना बनाया है।

उर्दू टाइम्स (17 अगस्त) के अनुसार जरांवाला के पादरी इमरान भट्टी ने पत्रकारों को बताया कि ईसा नगरी में स्थित साल्वेशन आर्मी चर्च, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च, एलाइड फाउंडेशन चर्च और शहरूनवाला चर्च में तोड़फोड़ के बाद भीड़ ने उनमें आग लगा दी है और कुरान की तौहीन के आरोप में एक आरोपी के घर को लूटने के बाद उसे तबाह कर दिया गया है। पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ वार्ता का दौर जारी है। पूरे क्षेत्र को पाकिस्तानी रेंजर्स ने अपने घेरे में ले लिया है और पूरे सूबे में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ईसाइयों ने पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाया था, जिसे निलंबित कर दिया गया है।

पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के अनुसार ईसाई नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि जब उग्र भीड़ गिरजाघरों और ईसाई बस्तियों को अपना निशाना बना रही थी तो पुलिस मूकदर्शक बनी हुई थी। उसने दंगाईयों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। चर्च ऑफ पाकिस्तान के प्रमुख बिशप आजाद मार्शल ने कहा है कि ईसाइयों पर कुरान का अपमान करने का झूठा आरोप लगाया गया है और इस झूठे आरोप की आड़ में उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। कम-से-कम चार गिरजाघरों से बाइबिल को निकालकर उसका अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं से यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक और विशेष रूप से ईसाई सुरक्षित नहीं हैं।

औरंगाबाद टाइम्स (17 अगस्त) के अनुसार जरांवाला में उस समय हिंसा भड़की जब कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि दो ईसाइयों ने कुरान को जला दिया है। पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (19 अगस्त) ने अपने संपादकीय में पाकिस्तान में ईसाई बस्तियों और गिरजाघरों को आग लगाए जाने की निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि पवित्र कुरान को दो व्यक्तियों द्वारा जलाए जाने के बाद जो हिंसा भड़की उसके वीडियो को देखकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि हजारों मुसलमान सड़कों पर उतर आए और उन्होंने ईसाइयों के उपासना स्थलों और घरों को निशाना बनाया। ऐसी घटनाओं से पूरे विश्व में पाकिस्तान की बदनामी हुई है और ईसाइयों और मुसलमानों के बीच के संबंधों में जो खटास आई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है।

समाचारपत्र ने कहा है कि रसूल और कुरान के अपमान के नाम पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की घटनाएं आम तौर पर होती ही रहती हैं। इस्लाम शांति का मजहब है और उसके अनुयायियों को इस तरह की घटनाएं शोभा नहीं देती। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि पाकिस्तान सरकार का रवैया हमेशा पक्षपातपूर्ण होता है। वह अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती।

लेकिन समाचारपत्रों में पाकिस्तानी नेता अल्पसंख्यकों के संरक्षण के बारे में लंबे चौड़े बयान जरूर देते हैं। हालांकि, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में ऐसे कट्टरपंथी तत्वों की कमी नहीं है, जोकि अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहां भी भगवा ब्रिगेड सेक्युलरिज्म का जनाजा अपने कंधों पर उठा रहा है और मुल्क को हिंदू राष्ट्र में बदलने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान में ईसाइयों की कुल संख्या 26 लाख है। हालांकि, ईसाई नेताओं का आरोप है कि उनकी संख्या को जानबूझकर कम बताया जाता है। पाकिस्तान के संविधान में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के बारे में कई धाराएं हैं। मगर यह भारत की तरह सिर्फ कागजी बातें हैं।

अफगानिस्तान में राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध

रोजनामा सहारा (18 अगस्त) के अनुसार अफगानिस्तान के न्याय मंत्री शेख अब्दुल हकीम शरई ने घोषणा की है कि अफगानिस्तान में किसी भी राजनीतिक दल को काम करने की अनुमति नहीं होगी और सभी राजनीतिक दलों पर कानूनन प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामी शरिया में राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक दलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मौलवी शरई ने कहा है कि तालिबान सरकार पर अपना नियंत्रण जारी रखेंगे और किसी भी राजनीतिक दल को देश में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजनेता अगर शरिया का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक दल बनाने का प्रयास करते हैं तो शरिया कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विदेशियों द्वारा तालिबान सरकार को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार का अभियान चलाया जा रहा है। मगर हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। क्योंकि हमारी शासन की रीढ़ इस्लामी शरा है।

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने स्पष्ट किया है कि लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा संस्थानों को खोलने का अफगान सरकार का कोई इरादा नहीं है। हम विदेशी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इस्लामी शरा में महिलाओं को पर्दे में रहने का निर्देश है और हम उसका उल्लंघन कदापि नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पार्कों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहेगा और उन्हें नौकरी करने या शिक्षा संस्थानों में शिक्षा देने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है। हम इस्लाम और शरिया के निर्देशों के अनुसार अपना शासन चलाएंगे।

रोजनामा सहारा (25 अगस्त) के अनुसार अफगान सरकार ने छात्राओं को दुबई जाकर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने से रोक दिया है। गौरतलब

है कि संयुक्त अरब अमीरात के एक व्यापारिक समूह के अध्यक्ष खलाफ अहमद अल-हबतूर ने यह पेशकश की थी कि वे 100 अफगान लड़कियों के लिए संयुक्त अरब अमीरात में शिक्षा और आवास की मुफ्त व्यवस्था करेंगे। इन लड़कियों को संयुक्त अरब अमीरात लाने के लिए एक विशेष विमान भी काबुल भेजा गया था। मगर अफगान सरकार ने इन छात्राओं को संयुक्त अरब अमीरात में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने की अनुमति नहीं दी और उन्हें विमान से जबरन नीचे उतार दिया गया। हालांकि, उनके साथ उनके परिवार के पुरुष भी थे। अफगान सरकार ने इस घटना पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है और कहा है कि हम अपने अंदरूनी मामलों में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (16 अगस्त) के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के झंडे देश भर के सरकारी इमारतों और सड़कों पर लगाए गए। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि आज तक कोई भी आक्रांता अफगानिस्तान को अपना गुलाम बनाकर नहीं रख सका। किसी भी आक्रांता को देश की आजादी और संप्रभुता को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। काबुल में कई स्थानों पर सशस्त्र तालिबान ने प्रदर्शन किए। इस अवसर पर वे अफगानिस्तान का कौमी तराना बजा रहे थे और नौजवान लड़के कलमा लिखे तालिबान के सफेद झंडे बेच रहे थे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (17 अगस्त) के अनुसार दो साल गुजर जाने के बावजूद तालिबान सरकार दुनिया से अलग-थलग है। अभी तक उसे किसी भी देश द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। दो साल पहले जब अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से निष्कासन के बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था तो ऐसा लगता था कि नई सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य देशों द्वारा मान्यता मिल जाएगी। मगर अभी तक तालिबान सरकार को किसी भी देश ने मान्यता प्रदान नहीं की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि तालिबान ने दुनिया से जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आपत्ति के बावजूद अफगानिस्तान में महिलाओं पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं और उन प्रतिबंधों को अभी तक हटाया नहीं गया है। हालांकि, कुछ देशों ने काबुल में अपने दूतावास खोल दिए हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्किये आदि देश शामिल हैं। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने पंजशीर इलाके में तालिबान सरकार के खिलाफ शस्त्र उठाए थे। मगर तालिबान ने उन्हें कुचल डाला है। आईएसआईएस और अलकायदा ने अफगानिस्तान में कहर ढा रखा है। हाल ही में पाकिस्तान की तहरीक-ए-तालिबान की गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है। पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि इस्लामी आतंकियों को तालिबान सरकार ने पाकिस्तान विरोधी गतिविधियां चलाने की पूरी छूट दे रखी है और पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इत्तेमाद (18 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ हुए थे तो विश्व के विभिन्न देशों ने यह आशा व्यक्त की थी कि इस बार तालिबान का रूख नरम होगा और वे पहले की तरह कट्टरवादी तरीके से शासन नहीं चलाएंगे। मगर अब यह साफ हो गया है कि तालिबान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और वे शरिया के अनुसार अपना शासन चलाना चाहते हैं।

इत्तेमाद (25 अगस्त) के अनुसार अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई ने कहा है कि अफगानिस्तान

की सरकार को विश्व के विभिन्न देशों द्वारा मान्यता दिए जाने के मार्ग में अमेरिका निरंतर बाधाएं डाल रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जो वार्ता करने का प्रयास किया गया था उसका कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने यह स्वीकार किया कि पंजशीर और अंदराब क्षेत्रों में सरकार विरोधी सशस्त्र गिरोहों द्वारा तालिबान सरकार का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की अफगान सेना शीघ्र ही इन विद्रोहियों पर काबू पा लेगी।

स्वीडन और नीदरलैंड में कुरान का अपमान

इंकलाब (17 अगस्त) के अनुसार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में शाही महल के सामने पुलिस की भारी मौजूदगी के बावजूद कुरान की कई प्रतियों को जलाया गया। कतर के टेलीविजन चैनल अलजजीरा ने कहा है कि कुरान को जलाने वालों में 37 वर्षीय सलवान मोमिका और 48 वर्षीय सलवान नजेम शामिल थे। ये दोनों इराकी मूल के हैं। इससे पूर्व 31 जुलाई को भी स्वीडन की संसद के बाहर कुरान को पांव तले रौंदा गया था। हालांकि, कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जवाबी प्रदर्शन भी किया और वे नफरत को बुझा दो के नारे लगा रहे थे। अलजजीरा ने कहा है कि जब कुछ लोगों ने कुरान को जलाने वालों के खिलाफ हमला करने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि इन घटनाओं के पीछे इस्लाम विरोधी तत्वों का हाथ है, जोकि मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इस तरह की घटनाओं की निंदा की थी। मगर इसके बावजूद भी कुरान और इस्लाम की तौहीन का सिलसिला जारी है। हैरानी की बात यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अदालतें भी कुरान और इस्लाम का अपमान करने की अनुमति दे रही हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (20 अगस्त) के अनुसार नीदरलैंड के हेग में एक डच व्यक्ति ने तुर्किये के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और कुरान को अपने पांव तले रौंद दिया। उसके साथ कुछ अन्य लोग भी थे। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जवाबी प्रदर्शन किया और उन पर पथराव भी किया। तुर्किये मूल के नीदरलैंड के न्याय मंत्री ने कुरान के अपमान को बेहद अफसोसनाक बताया है और कहा है कि देश का कानून ऐसा है कि हम ऐसी घटनाओं को रोकने में असमर्थ हैं।

उर्दू टाइम्स (26 अगस्त) के अनुसार डेनमार्क ने एक कानून बनाने का फैसला किया है, जिसमें कुरान को सार्वजनिक रूप से जलाने को गैरकानूनी अपराध घोषित किया गया है। डेनमार्क के न्याय मंत्री ने कहा है कि इस कानून के तहत किसी भी धार्मिक ग्रंथ या प्रतीक को जलाने या उसका अपमान करने वाले के लिए दो साल की कैद और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। अरब लीग ने डेनमार्क सरकार के इस फैसले का स्वागत

किया है और कहा है कि इस कानून के बनने से इस्लाम और कुरान का अपमान करने की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी। उन्होंने यूरोप के अन्य देशों से भी आग्रह किया है कि वे कुरान का अपमान करने की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएं।

शेख हसीना के बेटे की हत्या की साजिश रचने वाले पत्रकारों को सजा

रोजनामा सहारा (19 अगस्त) के अनुसार ढ़ाका की एक अदालत ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक अखबार के दो वरिष्ठ संपादकों को सात साल कैद की सजा सुनाई है। सरकारी वकील के अनुसार एक दशक पूर्व बांग्लादेश के दो पत्रकारों 88 वर्षीय शफीक रहमान और 70 वर्षीय महमूद उर रहमान ने शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद का अपहरण करके उसकी हत्या करने की साजिश रची थी। जिन पत्रकारों को सजा सुनाई गई है उनका संबंध एक बंगाली अखबार से है। इन दोनों पत्रकारों के अतिरिक्त तीन अन्य व्यक्तियों को भी पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।

गौरतलब है कि इन दोनों पत्रकारों को 2013 में गिरफ्तार किया गया था। जेल में वे बीमार हो गए। इसके बाद अदालत के आदेश पर उन्हें इलाज के लिए विदेश भेज दिया गया। मगर वे स्वदेश वापस नहीं लौटे। इन दोनों पत्रकारों को उनकी गैर-हाजिरी में अदालत ने सजा सुनाई है। शफीक रहमान विपक्षी दल के सलहकार भी रहे हैं और वे शेख हसीना सरकार के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। सरकारी वकील के अनुसार इन पांचों व्यक्तियों के गिरोह ने शेख हसीना के बड़े बेटे सजीब वाजेद को एक दशक पूर्व अमेरिका में अपहरण करके उनकी हत्या करने की साजिश की थी। बाद में बांग्लादेश सरकार ने इन दोनों पत्रकारों सहित पांच लोगों के एक गिरोह पर अदालत में मुकदमा चलाया था।

तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान पड़ोसी देशों के लिए खतरा

अवधनामा (28 अगस्त) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और आईएसआईएस को विदेशी स्रोतों से हथियार प्राप्त हो रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' की एक रिपोर्ट के अनुसार इन आतंकी संगठनों द्वारा अनेक पड़ोसी देशों में खून की होली खेले जाने की संभावना है। इस रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और आईएसआईएस के खुरासान चैप्टर ने पाकिस्तान में अनेक स्थानों पर हमले किए हैं। जुलाई महीने में पाकिस्तान की पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम के सम्मेलन पर इन्होंने हमला

किया था, जिसमें 40 लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने इन दावों को आधारहीन बताया है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान के अफगानस्तिान में सत्तारूढ़ होने के बाद से अफगानिस्तान में आईएसआईएस की गतिविधियां बहुत कम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि विदेशियों द्वारा अफगान सारकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन के बाद उनके अस्त्र-शस्त्रों के भंडार, जोकि अफगानिस्तान में रह गए थे, वे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा से संबंधित आतंकवादी गुटों को सप्लाई किए गए हैं। हाल ही में इन अमेरिकी मूल के हथियारों को ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मुवमेंट के लड़ाकुओं को भी मुहैया कराया गया है। अमेरिकी मूल के हथियार और गोला बारूद आतंकवादियों के हाथ लग जाने के कारण आईएसआईएस और अलकायदा के हिंसक गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद विरोधी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में 20 से अधिक इस्लामिक आतंकी गुट सक्रिय हैं, जिनके पास अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियार हैं।

रोजनामा सहारा (22 अगस्त) के अनुसार एक अमेरिकी अदालत ने पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर को आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने और अमेरिका में हमले की साजिश रचने के आरोप में 18 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि 31 वर्षीय पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मसूद ने मार्च 2020 में अमेरिका से जॉर्डन के रास्ते सीरिया जाने का प्रयास किया था। अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी एफबीआई के गुप्तचरों ने 19 मार्च 2020 को डॉ. मसूद को उस समय गिरफ्तार किया था जब वह हवाई जहाज में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। डॉ. मसूद अमेरिका में वर्क वीजा पर रह रहा था। जनवरी 2020 में उसने एफबीआई के कुछ अधिकारियों को आईएसआईएस का कमांडर समझकर उनसे संपर्क किया था और उसने आईएसआईएस के साथ वफादारी की शपथ भी ली थी। डॉ. मसूद आईएसआईएस के कैडर को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सीरिया जाना चाहता था। उस पर यह भी आरोप है कि उसने लगभग तीन दर्जन लोगों को अमेरिका के मिनेसोटा राज्य से अलकायदा के लिए भर्ती किया था और उन्हें अफ्रीकी इस्लामिक आतंकी संगठन अल-शबाब की ओर से लड़ने के लिए अफ्रीका भेजा था। जिन लोगों को इस डॉक्टर ने अफ्रीका में लड़ने के लिए भेजा था वे सोमालिया मूल के थे। इस डॉक्टर ने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद उसे 18 वर्ष कैद की सजा दी गई है। ■

इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध की संभावना

अवधनामा (24 अगस्त) के अनुसार इजरायल और ईरान समर्थक इस्लामी आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह में किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि इजरायली सेना देश में चल रही राजनीतिक रस्साकशी और आंतरिक विवादों में फंसी हुई है। जबकि हिजबुल्लाह ईरान की सहायता से अपनी शक्ति में निरंतर वृद्धि कर रहा है। हिजबुल्लाह (लेबनान) के महासचिव सैयद हसन नसरल्लाह ने दावा किया है कि पहले यह आम सोच थी कि इजरायली सेना को युद्ध में पराजित करना संभव नहीं है। मगर अब यह दावा धूल में मिल गया है। इजरायल तबाही के रास्ते पर चल रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने हाल ही में न्यायपालिका के अधिकारों में जो कटौती की है उसके खिलाफ सेना में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है और इजरायली सेना की रीढ़ की हड्डी रिजर्व फोर्स के हजारों सैनिकों ने लिखित रूप से इजरायल सरकार को सूचित किया है कि वे भविष्य में इजरायल की ओर से युद्ध में भाग नहीं लेंगे। उनकी इस घोषणा के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें मार्शल लॉ कानून के तहत गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की धमकी दी थी।

इत्तेमाद (30 अगस्त) के अनुसार हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह ने कहा है कि लेबनान की भूमि पर अगर इजरायल ने किसी भी लेबनानी और फिलिस्तीनी नेता की हत्या करने की कोशिश की तो उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इजरायल ने गुप्त रूप से बहुत से अरब और फिलिस्तीनी नेताओं की हत्या की है। अब वह समय गुजर चुका है। हाल ही में वेस्ट बैंक में हिजबुल्लाह की गतिविधियों में जो वृद्धि हुई है उससे इजरायल परेशान है। इजरायल यह भूल गया है कि फिलिस्तीनी जनता 75 सालों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है।

गौरतलब है कि दो दिन पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्लामिक आतंकी संगठन हमास के उपाध्यक्ष सालेह अल-अरौरी की हत्या करवाने की धमकी दी थी। हमास ने इस धमकी का उल्लेख करते हुए कहा है कि हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और हम फिलिस्तीनी जनता की इजरायल से मुक्ति के लिए अंतिम सांस तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हमास के प्रमुख ने कहा है कि अगर हमने जवाबी कार्रवाई शुरू की तो इजरायल का वजूद खतरे में पड़ जाएगा।

नेतन्याहू ने यह आरोप लगाया है कि पिछले कुछ सप्ताह में वेस्ट बैंक में इजरायल पर हमलों में जो भारी वृद्धि हुई है उसके पीछे हमास के नेता अल-अरौरी का हाथ है। उन्होंने कहा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अल-अरौरी कहां पर छिपे हुए हैं। नेतन्याहू ने इजरायली संसद के अधिवेशन के दौरान यह घोषणा की है कि जो इजरायल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या इजरायल के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को आर्थिक सहयोग देता है उसे हमेशा उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हम हमास और ईरान के एजेंटों को अच्छी तरह से जानते हैं और हम उनका सफाया करके ही दम लेंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (24 अगस्त) के अनुसार दक्षिण लेबनान में एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के अंदर जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें कम-से-कम दो दर्जन लोग मारे गए और 40 जख्मी हो गए। इस धमाके के पीछे इजरायल का हाथ बताया जाता है।

उर्दू टाइम्स (16 अगस्त) के अनुसार हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह ने इजरायल को यह चेतावनी दी है कि अगर उसने हिजबुल्लाह या हमास के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो उसका नामोनिशान मिटा दिया जाएगा। इजरायल लेबनान और गाजा में दीवारों के पीछे छिपा हुआ है। वेस्ट बैंक में वह जॉर्डन के पास एक दीवार बना रहा है, ताकि वह जॉर्डन के खिलाफ कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा कि हमारे पास इजरायल के हवाई अड्डों, फौजी ठिकानों और तेल शोधक कारखानों के बारे में पूरी जानकारी है और हम उनको कभी भी मिसाइल से उड़ा सकते हैं। हम इजरायल का वजूद मिटा कर ही दम लेंगे। हम मरना और मारना पूरी तरह से जानते हैं।

ईरान और सऊदी अरब के बीच नए अध्याय की शुरुआत

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (20 अगस्त) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने सऊदी अरब के दौरे के दौरान युवराज मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि मैंने सऊदी अरब के युवराज से जो बातचीत की है वह मुस्लिम जगत के लिए बेहद लाभदायक और अच्छे परिणाम देने वाला है। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक विशेष संदेश भी सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को पहुंचाया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ

मुलाकात के बाद पत्रकारों को बताया कि इस मुलाकात से इस्लामिक जगत में नए अध्याय की शुरुआत होगी।

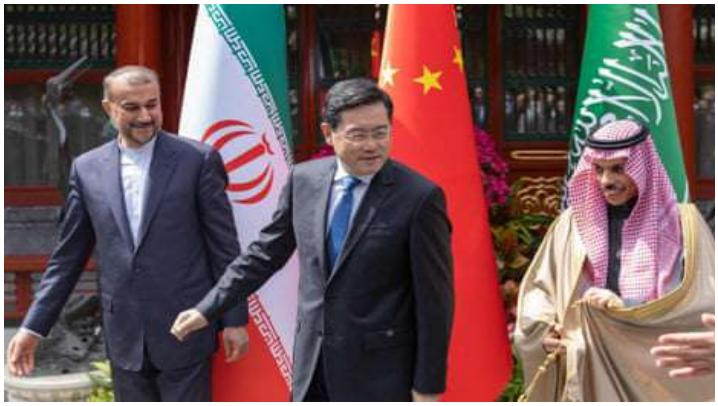

इंकलाब (22 अगस्त) के अनुसार चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन के प्रयास से सऊदी अरब और ईरान के बीच जो मैत्री स्थापित हुई है वह विश्व की राजनीति को नई दिशा देगी। इससे मध्य पूर्व में मैत्री की नई लहर चलेगी। उन्होंने कहा कि चीन मध्य पूर्व के अरब देशों को आर्थिक विकास के लिए हर संभव सहायता देगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार मिस्र के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अहमद अबू जैद ने कहा है कि ईरान और मिस्र के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। ईरान इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा देश है। मिस्र चाहता है कि ईरान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो और दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन में सुधार हो।

इत्तेमाद (20 अगस्त) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन ने दो भाईयों के बीच पुनः मैत्री संबंध स्थापित करने में विशेष योगदान दिया है और हम इसके लिए उनके आभारी है। हम सऊदी अरब के सहयोग से इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि 2001 में दोनों देशों के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में जो समझौता हुआ था उसे फिर से सक्रिय किया जाए।

उर्दू टाइम्स (24 अगस्त) के अनुसार सऊदी अरब के मंत्रिमंडल ने ईरान के साथ राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए चीन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि इन प्रयासों के कारण सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंधों का नया युग शुरू हो रहा है।

गौरतलब है कि 2016 से सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंध समाप्त हो गए थे। क्योंकि सऊदी अरब ने कुछ प्रमुख शिया विद्वानों को फांसी पर लटका दिया था। इसके विरोध में ईरान की उग्र भीड़ ने तेहरान में सऊदी अरब के दूतावास पर हमला करके उसे जला दिया था। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी कटुता आ गई थी। इस साल के मार्च महीने में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों को बीजिंग बुलाया था और उनके बीच समझौता करवा दिया था।

इस साल के जून महीने में ईरान ने सऊदी अरब में अपना दूतावास खोल दिया था और उसी महीने सऊदी अरब ने भी ईरान में अपना दूतावास खोल दिया था। इससे पहले सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने ईरान का दौरा करके एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें दोनों देशों ने वर्षों की दुश्मनी को भुलाकर राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने पर सहमति प्रकट की थी।

इत्तेमाद (19 अगस्त) ने अपने संपादकीय में ईरानी विदेश मंत्री के सऊदी अरब दौरे का उल्लेख करते हुए कहा है कि अमेरिका द्वारा अरब देशों के साथ इजरायल के संबंधों को सुदृढ़ बनाने के जो प्रयास किए जा रहे थे उसे चीन ने मिट्टी में मिला दिया है। मार्च महीने में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे के समीप लाने के लिए जो दांव खेला था वह सफल हो गया है। इसके कारण मध्य पूर्व

और अरब के देशों में चीन का महत्व बढ़ा है और अमेरिका की सारी रणनीति धूल में मिल गई है।

समाचारपत्र का कहना है कि मध्य पूर्व में पिछले एक दशक से सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के घोर विरोधी रहे हैं। मगर हाल ही में ईरान ने अरब देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया है। सऊदी अरब ने ईरान के साथ-साथ सीरिया के साथ भी अपने संबंध सुधारे हैं और यमन में गृहयुद्ध को समाप्त करके शांति के प्रयास तेज कर दिए हैं। ईरान को 2018 से अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ये आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लगाए थे। ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती से सबसे ज्यादा परेशान और हैरान इजरायल है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका के सहयोग से इजरायल ने सात अरब देशों के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। बहरीन, यमन, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि इजरायल ने ईरान को अलग-थलग कर दिया है और सभी अरब देशों का समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गया है। लेकिन यहूदियों का यह स्वप्न पूरा नहीं हुआ। अमेरिका सऊदी अरब पर इजरायल को मान्यता देने के लिए काफी समय से दबाव डाल रहा था, जोकि चीन के हस्तक्षेप के कारण विफल हो गया है। सऊदी अरब अब अमेरिका पर कम से कम निर्भर रहने की नीति पर चल रहा है और वर्तमान स्थिति में इजरायल के साथ किसी समझौते या राजनयिक संबंधों की स्थापना की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है।

इजरायल के विदेश मंत्री से मुलाकात करने पर लीबिया की विदेश मंत्री बर्खास्त

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (29 अगस्त) के अनुसार लीबियाई विदेश मंत्री नजला अल-मंगौश को इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन से पिछले सप्ताह रोम में मिलना महंगा पड़ा है। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबेह ने अपने विदेश मंत्री को बर्खास्त कर दिया है और उनके खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया है। यह फैसला लीबिया की अध्यक्षीय परिषद ने किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विदेश मंत्री को अस्थाई तौर पर निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ जांच के लिए न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है।

गौरतलब है कि जैसे ही इजरायल के विदेश मंत्री से लीबियाई विदेश मंत्री की मुलाकात की खबरें मीडिया में आई, त्रिपोली और उसके आसपास के क्षेत्रों में जनता सड़कों पर उतर आई और उन्होंने लीबिया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए। धीरे-धीरे यह उग्र प्रदर्शन अन्य नगरों तक भी फैल गया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को बाधित कर दिया और जगह-जगह पर फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने त्रिपोली स्थित विदेश मंत्रालय पर धावा बोल दिया।

लीबिया की बर्खास्त विदेश मंत्री नजला अल-मंगौश ने इजरायल के विदेश मंत्री से मुलाकात का खंडन किया है और यह दावा किया है कि इटली की विदेश मंत्रालय द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें उनका इजरायल के विदेश मंत्री से आमना-सामना हुआ था। लीबिया ने आरोप लगाया है कि इजरायल इस घटना को अपने दृष्टिकोण से पेश कर रहा है। वह इस मुलाकात का राजनीतिक लाभ उठाना

चाहता है। इस मुलाकात में कोई बातचीत, समझौता या विचार-विमर्श नहीं हुआ था। लीबिया इजरायल के साथ किसी भी तरह के संबंध स्थापित करने के विरुद्ध है। जबकि इजरायली विदेश मंत्री ने यह दावा किया था कि इस मुलाकात में लीबिया में यहूदियों की विरासत के संरक्षण के सवाल पर आपस में बातचीत हुई थी और उसमें यह तय किया गया था कि लीबिया में यहूदियों के जो उपासना स्थल और कब्रिस्तान हैं, उनकी मरम्मत की जाए और उन्हें सजाया जाए। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने और सहयोग को व्यापक रूप देने के बारे में भी बातचीत हुई थी।

इजरायली विदेश मंत्रालय का कहना था कि इस मुलाकात की व्यवस्था इटली के विदेश मंत्री ने की थी, जिसमें कृषि और जल पब्रंधन के क्षेत्र में इजरायली सहायता पर विचार विमर्श हुआ था। इटली सरकार ने इन दोनों नेताओं की मुलाकात पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। मगर जैसे ही इजरायल के विदेश मंत्रालय का बयान मीडिया में प्रसारित हुआ, लीबिया की अध्यक्षीय परिषद ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। इस परिषद में लीबिया के तीनों सूबों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति शामिल हैं। लीबिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लीबिया के विदेश मंत्री की यह मुलाकात हमारी विदेश नीति का हिस्सा नहीं है और हम इसे लीबिया के कानून और सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। किसी भी यहूदी संस्थान से संबंध स्थापित करना हमारी नजर में गुनाह है और अगर यह मुलाकात हुई थी तो उसकी कीमत विदेश मंत्री को चुकानी पड़ेगी।

मुंबई उर्दू न्यूज (30 अगस्त) ने यह दावा किया है कि इजरायली विदेश मंत्री की लीबियाई विदेश मंत्री के साथ मुलाकात का खुलासा समय से पूर्व किए जाने के कारण इजरायल के विपक्षी नेताओं ने इजरायल के विदेश मंत्री को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है और कहा है कि एली कोहेन की इस हरकत से इजरायली कूटनीति को भारी क्षति पहुंची है। जो देश इजरायल पर विश्वास करते हैं, उन्हें इससे गहरा धक्का लगा है। इन विरोधी नेताओं ने एली कोहेन को अपरिपक्व करार दिया है और कहा है कि इसके लिए नेतन्याहू की सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। इजरायली सरकार क्योंकि अपनी आंतरिक और विदेशी नीति में विफल हो चुकी है, इसलिए जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की खबरें प्रसारित की जा रही हैं।

इजरायली विदेश मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि अमेरिकी प्रशासन ने इस मुलाकात पर रोष प्रकट किया है और विदेश मंत्री की इस हरकत के कारण अमेरिका द्वारा लीबिया के साथ अब्राहम समझौते के तहत पिछले दो सालों से जो प्रयास चल रहे थे, उसको गहरा धक्का लगा है। विदेश मंत्री को इस गुप्त बैठक के बारे में समझदारी से काम लेना चाहिए था। मगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस मुलाकात की चर्चा करनी शुरू कर दी। इससे अमेरिका द्वारा जो प्रयास किए गए थे वह विफल हो गए हैं।

उर्दू टाइम्स (29 अगस्त) के अनुसार लीबिया की विदेश मंत्री अचानक गायब हो गई हैं। कहा जाता है कि वह लीबिया से तुर्की चली

गई हैं और वहां पर अज्ञातवास में हैं। लीबियाई जनता ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिए हैं और वह प्रधानमंत्री से त्यागपत्र की मांग कर रही है। लीबिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह मुलाकात आकस्मिक थी और वे इजरायल के साथ किसी भी तरह के संबंध स्थापित करने के विरुद्ध हैं। लीबिया की सुप्रीम काउंसिल ने पूर्व विदेश मंत्री से इस संदर्भ में जवाब मांगा है। इजरायल सरकार का कहना है कि उत्तरी अफ्रीका के अन्य देशों की तरह लीबिया में भी यहूदियों की महत्वपूर्ण विरासत मौजूद है। कर्नल गद्दाफी के शासनकाल में हजारों यहूदियों को लीबिया से बोरिया-बिस्तर बांधकर जबरन इजरायल भेजा गया था और उनके उपासना स्थलों को तबाह कर दिया गया था। 2011 में गद्दाफी सरकार के खात्मे के बाद से लीबिया गृहयुद्ध का शिकार है।

सऊदी सुरक्षा बलों ने की सैकड़ों इथियोपियाई शरणार्थियों की हत्या

अवधनामा (23 अगस्त) के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वाच ने यह दावा किया है कि सऊदी सीमा सुरक्षा बलों ने इथियोपिया से सऊदी अरब में दाखिल करने का प्रयास करने वाले इथियोपियाई नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसके कारण एक वर्ष में सैकड़ों लोग मारे गए। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के अधिकारियों ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। लेकिन इस बात को स्वीकार किया है कि अफ्रीका से सऊदी अरब तक खतरनाक रास्तों पर काम करने वाले इथियोपिया के लाखों नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। इथियोपिया के ओरोमिया क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय महिला ने बताया कि जब वह सैकड़ों लोगों के साथ सऊदी अरब में घुसने का प्रयास कर रही थी तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं। मैंने एक व्यक्ति को सहायता के लिए पुकारते देखा, जिसकी दोनों पैरों में गोली लगी हुई थी। वह चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या मुझे यहीं छोड़ दोगे? मगर हम इस घायल की कोई सहायता नहीं कर सकते थे। क्योंकि हम अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। सऊदी अरब के एक अधिकारी ने कहा कि इन आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। दूसरी ओर, इस संगठन ने सऊदी सीमा सुरक्षा बलों की अंधाधुंध गोलियों का शिकार होने वाले इथियोपिया के सैकड़ों शरणार्थियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है।

रोजनामा सहारा (23 अगस्त) में प्रकाशित समाचार के अनुसार ह्यूमन राइट्स वाच की 73 पृष्ठों की रिपोर्ट न्यूयॉर्क में जारी की गई है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जो लोग भागकर सऊदी अरब में शरण लेने का प्रयास करते हैं, उन्हें देश में घुसपैठ से रोकने के लिए सऊदी सुरक्षा बल सीमा पर ही गोली मार देते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कई सालों से इथियोपिया में वर्षा नहीं होने के कारण भीषण अकाल पड़ा हुआ है। इसलिए लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में उत्तरी इथियोपिया में जो गृहयुद्ध शुरू हुआ है, उसके कारण भी लोगों को वहां से भागना पड़ रहा है।

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार शरणार्थियों के अंतरराष्ट्रीय संगठन का कहना है कि 2022 में सऊदी अरब में इथियोपिया के साढ़े सात लाख लोग रहते थे, जिनमें से साढ़े चार लाख लोग बिना किसी कानूनी दस्तावेज के गैरकानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल हुए थे। ये शरणार्थी कई

दशकों से अदन की खाड़ी के रास्ते यमन में दाखिल हो रहे हैं। इसके बाद यमन से सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन राइट्स वाच का कहना है कि उनकी हाल की रिपोर्ट 42 लोगों के इंटरव्यू पर आधारित है। इन लोगों ने पिछले वर्ष मार्च से लेकर जून महीने के बीच यमन और सऊदी अरब की सीमा को अवैध रूप से लांघने का प्रयास किया था। इस रिपोर्ट के साथ 350 वीडियो और तस्वीरें भी हैं। एक शरणार्थी ने बताया कि जब वह 170 लोगों के एक समूह के साथ सऊदी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था तो उस समूह पर गोलियां चलाई गई, जिसके कारण 90 लोग मौके पर ही मारे गए।

इंकलाब (24 अगस्त) के अनुसार यूरोपीय कमीशन ने कहा है कि वह इस रिपोर्ट का मामला सऊदी अरब और यमन में हूती अधिकारियों के सामने उठाएगा। इथियोपिया की सरकार ने यह घोषणा की है कि वह सऊदी अरब के सहयोग से इस पूरी घटना की जांच करवाएगी, ताकि सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। इथियोपिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस संदर्भ में सऊदी सरकार से संपर्क किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं कर ली जाती तब तक इस संबंध में किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

ईरान की अदालत ने अमेरिका पर 33 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया

रोजनामा सहारा (28 अगस्त) के अनुसार ईरानी न्याय विभाग ने कहा है कि ईरान की एक अदालत ने 1980 में इस्लामिक क्रांति के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने के आरोप में अमेरिकी सरकार को 33 करोड़ डॉलर का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 1979 के इस्लामिक क्रांति में अमेरिका समर्थक मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार का तख्ता पलट दिया गया था। इसके बाद सैनिक अधिकारियों के एक गुट ने इस्लामी सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की थी। इन विद्रोहियों का नेतृत्व ईरानी वायुसेना के पूर्व प्रमुख सईद महदियाउन ने किया था। इन विद्रोहियों का मुख्यालय हमादान के एक हवाई अड्डे नोजेह में था। इस योजना का लक्ष्य पूरे देश में फौजी अड्डों पर कब्जा करके इस्लामिक क्रांति के नेताओं की हत्या करना था। मगर ईरान के गुप्तचर विभाग ने उनकी इस साजिश को विफल बना दिया। विद्रोह करने वाले 200 के लगभग लोगों को गोलियों से भून दिया गया। जबकि सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

ईरानी न्याय मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार इस विद्रोह में जो लोग मारे गए थे, उनके परिजनों ने दो वर्ष पहले हर्जाने की प्राप्ति के लिए ईरान की आदलत में याचिका दायर की थी। उन्होंने इस साजिश के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया था। अब अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि इस विद्रोह में जो लोग मारे गए थे, उनके वारिसों को तीन करोड़ डॉलर अदा किए जाएं और 30 करोड़ डॉलर का भुगतान ईरान सरकार को किया जाए।

RNI No. DELHIN/2017/72722

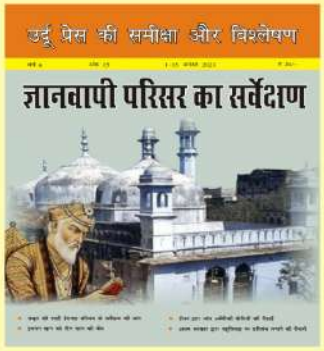

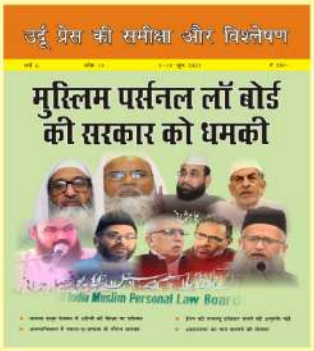

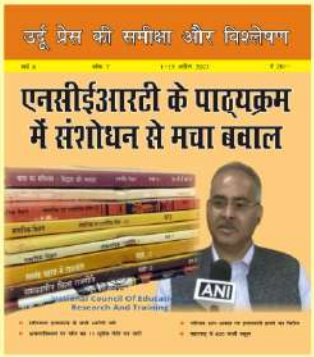

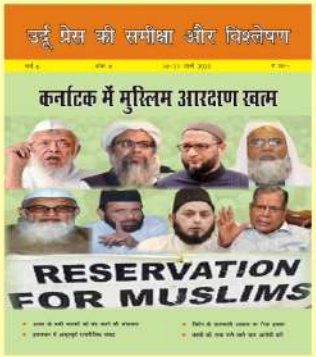

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in